आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

26/6/24

न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की,विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

एस०ए०आर०वाद सं०-26/2001-2002

1. जुगेश उराँव,
(i) राजीव उराँव,
(ii) संजीव उराँव,
(iii) अमित कुमार,
(iv) आशीष उराँव,
2. एतवा पाहन, (आपत्ति–कर्त्ता) .....आवेदकगण।

बनाम्

गायत्री देवी,.....विपक्षी।

आदेश

आवेदक जुगेश उराँव, पिता–स्व० बैजनाथ उराँव, निवास ग्राम–पुरानी राँची थाना–कोतवाली, जिला–राँची द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–71"A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु यह वाद दायर किया गया है। आवेदक ने आरोप लगाया है कि उनकी निम्नांकित जमीन विपक्षी गायत्री देवी, पति–जगमोहन शर्मा निवास ग्राम–न्यू किशोरगंज रोड नं०–03 शिशु मंदिर के पास, थाना–सुखदेवनगर जिला–राँची द्वारा छल प्रपंच से हड़पकर दखल कर लिया है।

जमीन का विवरण

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
राँची	205	175	714	03 कट्ठा

आवेदक ने अपने आवेदन एवं शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत जमीन रिवीजनल सर्वे खतियान में वकास्त भूईहरी, नाम लगान पानेवाला महादेव उराँव के नाम से दर्ज है।

M:-J 26/6/24

कृ०पृ०उल्टे

आवेदक अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। विपक्षी ने उपायुक्त से अनुमति प्राप्त किये बिना ही छल–प्रपंच से जबरन जमीन पर कब्जा कर आवेदक को बेदखल कर दिया है। इसी को आधार मानते हुए कारण पृच्छा प्रस्तुत करने हेतु विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया, तथा संबंधित अंचल अधिकारी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

आवेदक की ओर से वर्णित भूमि पर एक एस०ए०आर० वाद संख्या–$\frac{36/69}{203/70}$ टी०आर० नं०–135/78 सुरेश उराँव बनाम् मनोहर लाल नागपाल जिस में आवेदक को न्यायालय श्री बी० एम० मुण्डा विशेष विनियमन पदाधिकरी, राँची के द्वारा भू–वापसी का आदेश पारित हुआ। इसी के आलोक में अपर समाहर्त्ता, राँची के न्यायालय में अपील दायर किया गया, जिसका एस०ए०आर० अपील वाद संख्या–138/1980–81 को खारिज किया गया। पुनः विशेष विनियम पदाधिकारी श्री ए० के० द्विवेदी, के न्यायालय में एस०ए०आर० वाद संख्या–109/1999 लाया गया। इसमें आवेदक के पक्ष में वर्णित भूमि को वापस किया गया। तत्पश्चात मादी उराँव के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–49 के अंतर्गत जमीन बेचने हेतु उपायुक्त राँची के न्यायालय में आवेदन दिया जिसका वाद संख्या–09R8II/1979–80 है। इस वाद को भी खारिज कर दिया गया। श्री बलराम विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची के न्यायालय में एक वाद लाया जिसका वाद संख्या–एस०ए०आर० 26/2001–2002 है जो जुगेश उराँव बनाम् श्रीमती गायत्री देवी है। इस वाद्र में एक आपत्ति–कर्त्ता एतवा पाहन पार्टी बनाने के लिए आवेदन दिया, जिसे पार्टी बनाया गया। एतवा पाहन कहते हैं कि महादेव उराँव मेरे दादा हैं, और आवेदक जुगेश उराँव तकरारी जमीन से कोई संबंध नहीं रखते ये गलत आदमी है, तथा गलत शपथ पत्र के आधार पर आपत्ति–कर्त्ता एतवा पाहन की जमीन को हड़पना चाहते हैं। एस०ए०आर० वाद संख्या–26/2001–2002 में एक अपील उपायुक्त, राँची के न्यायालय में दायर किया गया, जिसका अपील वाद संख्या एस०ए०आर० 03R15/2003–2004 श्रीमती गायत्री देवी बनाम् एतवा उराँव इसमें पुनः सुनने के लिए आदेश पारित हुआ। जुगेश उराँव विपक्षी गायत्री देवी का

26/6/24

कृ०पृ०उल्टे

दावा गलत पाया गया तथा आपत्ति–कर्त्ता एतवा पाहन को जमीन वापसी का आदेश हुआ। जुगेश उराँव की मृत्यु हो गई इस संबंध में आवेदन देकर इनके बेटा राजीव उराँव, संजीव उराँव, अमित कुमार, आशीष उराँव सभी के पिता–जुगेश उराँव को पार्टी बनाया गया है। इसी आलोक में वर्त्तमान में इस वाद की पुनः सुनवाई की जा रही है। विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया तथा समाचार पत्र में भी नोटिस प्रकाशित किया गया, परंतु विपक्षी लगातार अनुपस्थित हैं।

विपक्षी की ओर से पूर्व में कारण पृच्छा दाखिल किया गया है। कारण पृच्छा में कहते हैं कि जो वाद लाया गया वह कालबाधित है। विपक्षी ने आवेदक के ससुर से तकरारी जमीन दिनांकः–11.05.1962 को सेल एग्रीमेंट से खरीदा है। उसके बाद से दखल कब्जा के साथ रह रहे है। जमीन के एवज में 20,000 (बीस) हजार रूपया एग्रीमेंट के तौर पर दिया, उसके बाद से घर मकान बना कर रह रहे हैं। आवेदक द्वारा वाद 30 वर्ष बाद लाया गया है। कारण पृच्छा में कहते हैं कि बाकी रूपया आवेदक को देने के लिए तैयार है। विपक्षी की ओर से तीन गवाह प्रस्तुत किया गया। गवाह जगदीश शर्मा, राम चन्द्र शर्मा, गायत्री देवी द्वारा वाद का समर्थन किया गया है।

आवेदक जुगेश उराँव की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने बहस किया साथ में लिखित बहस भी दाखिल किया, इसमें कहते है कि विपक्षी जाली कागजात बनाये हैं। यह जमीन वकास्त भूईहरी हैं तथा लगान पानेवाला का नाम महादेव उराँव हैं। वर्णित भूमि जुगेश उराँव पिता–बैजनाथ उराँव द्वारा हुकुमनामा से वर्ष 1945 में दिया गया है। एस०ए०आर० वाद संख्या–109/1999 में आवेदक के पक्ष में जमीन वापसी का आदेश हुआ। इस के बाद एतवा उराँव ने हस्तक्षेपकर्त्ता की माता ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–49 के अंतर्गत वर्णित भूमि को बेचने के लिए एक वाद लाया जिसका वाद संख्या–9R8II/1979–80 इस में जुगेश उराँव के द्वारा आपत्ति दायर किया गया। एस०ए०आर० वाद संख्या–$\frac{36/69}{203/70}$ टी० आर० नं०–135/78 इस वाद में जमीन वापसी का आदेश पारित हुआ। पुनः एस०ए०आर० अपील वाद संख्या–138/1980–80 में अपर समाहर्त्ता, राँची के न्यायालय में वाद दायर किया,

26/6/24

कृ०पृ०उल्टे

इसे भी खारिज किया गया। विपक्षी के द्वारा धारा–46 का उल्लघंन कर गैरकानूनी तरीके से दखल कर लिया गया है। आवेदक की ओर से जुगेश उराँव, विजय उराँव, गवाह दिए हैं। गवाह कहते हैं कि वर्णित भूमि भूईहरदार महादेव उराँव के नाम से दर्ज है। इनके वंशज एतवा पाहन हैं। आवेदक की ओर से सादा हुकुमनामा जमीनदारी लगान रसीद, मालगूजारी रसीद दाखिल किये हैं।

इस वाद में एतवा पाहन आपत्ति–क़र्ता को स्वीकार करते हुए आवेदक बनाया गया था, आपत्ति–कर्ता खतियानी और खेवटदार के वंशज है, अतः पूर्व में इस वाद में आपत्ति–कर्ता एतवा पहान (उराँव) पिता–पिरूआ उराँव के पक्ष में भू–वापसी का आदेश पारित हो चुका है। आपत्ति–कर्ता की ओर से खतियान, खेवट की छाया प्रति दाखिल किये हैं। विपक्षी दो नोटिस तथा समाचार पत्र के माध्यम से भी नोटिस प्रकाशित किए जाने के बावजूद अंत तक उपस्थित नहीं हुए।

अतः आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस सुनने और लिखित बहस तथा सभी पक्षों के कागजातों के अवलोकन से यह निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची श्री बलराम के आदेश दिनांकः–16.02.2003 को बहाल रहते हुए विपक्षी गायत्री देवी को भूमि से बेदखल किया जाता है तथा आपत्ति–कर्त्ता एतवा पाहन (उराँव) पिता–पिरूआ उराँव को वर्णित भूमि वापस की जाती है।

विपक्षी को आदेश दिया जाता है कि यदि प्रश्नगत भूमि पर कोई संरचना हो तो 03 माह के अंदर हटा लें।

तदनुसार अंचल अधिकारी, शहर राँची को दखल देहानी हेतु आदेश निर्गत करें कि यदि प्रश्नगत भूमि पर कोई संरचना निर्मित हो तो उसे हटाने हेतु प्रावधानुसार विपक्षी को पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए एतवा पाहन सहित खतियानी रैयत के वैध वंशजो को दखल दिलाना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

26/6/24

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

26/6/24

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2025.01.15 16:11:39 +05:30
Location: 192.168.50.39

ज्ञापांकः– 163 (11) दिनांकः– 26/06/24

प्रतिलिपिः– अंचल अधिकारी, शहर राँची को प्रश्नगत भूमि पर वैध वंशजों को दखल–देहानी हेतु प्रेषित

26/06/24

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।